भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2493

उत्तर देने की तारीख : 03.08.2023

पीएमजेवीके के अंतर्गत निधि का उपयोग न होना

2493. श्री सय्यद इम्तियाज जलील:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत कई राज्यों द्वारा कुल 4500 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ख) सरकार द्वारा पीएमजेवीके के अंतर्गत राज्य सरकारों को इस निधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए समुचित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या पीएमजेवीके के भाग के तौर पर, 2008 और 2018-2019 के बीच स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की 58,000 इकाइयों को अलाभकारी माना गया और बाद में रद्द कर दिया गया अथवा समाप्त कर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएमजेवीके के अंतर्गत भविष्य में स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने और प्रभावी ढंग से उन्हें कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) और (ख): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। अल्पसंख्यक कार्य

मंत्रालय ने विशेष रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS), एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसके तहत चिन्हित क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (UTA) के तत्वावधान में फंड शेयरिंग पैटर्न पर कार्यान्वित की जा रही है और परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाती हैं। इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों में कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से मंजूरी दे दी गई है। समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(UT) द्वारा रिपोर्ट किए गए खर्चे के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(UT) के पास पीएमजेवीके के अंतर्गत कुल 4816.48 करोड़ रु. अव्ययित बचे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(UT) वार अव्ययित राशि का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

पीएमजेवीके के प्रभावी कार्यान्वयन और धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमजेवीके के तहत जारी धन का उपयोग करने की छूट दी गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, अब पीएमजेवीके के तहत धनराशि जारी करना एकल परियोजनाओं से संबंधित नहीं है। पीएमजेवीके की राज्य नोडल एजेंसी (SNA) के बैंक खाते में उपलब्ध राशि एक सामान्य पूल बनाती है, जिसका उपयोग राज्यों द्वारा चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ योजना के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की प्रगति और अव्ययित शेष राशि की समीक्षा भी करता है।

(ग) और (घ): मंत्रालय में वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमजेवीके के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक योजना के तहत 58,465 इकाइयों को मंजूरी दी गई और जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) द्वारा शुरू नहीं किए गए थे और अव्यवहार्य हो गए थे, मंत्रालय द्वारा रद्द/हटा दिए गए थे। राज्यों को उन अव्यवहार्य इकाइयों के लिए पहले से जारी केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि का उपयोग पीएमजेवीके के तहत चल रही अन्य परियोजनाओं पर करने की सलाह दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बंद परियोजनाओं के लिए केंद्र द्वारा जारी धनराशि का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है जो प्रगति पर हैं।

(ङ): पीएमजेवीके के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, नई परियोजनाओं की मंजूरी और धन जारी करना राज्यों में पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति, व्यय की गति, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC), राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि से और पीएमजेवीके संपत्तियों की जियो-टैगिंग से संबद्ध है। पीएमजेवीके के तहत प्रस्तावों की सिफारिश संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

(UT) के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति (MLC) द्वारा अभिज्ञात क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की मांग के आधार पर की जाती है। एसएलसी द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद मंत्रालय में पीएमजेवीके की अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, एसएलसी को परियोजना के स्थान को अल्पसंख्यक क्षेत्र में प्रमाणित करने, केंद्र या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की किसी भी अन्य योजना के साथ प्रस्तावित परियोजना का दोहराव नहीं होने और आवर्ती व्यय/रखरखाव लागत को संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाना और बुनियादी ढांचे के पूरा होने पर इसे तुरंत कार्यात्मक बना दिया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक वित्तीय वर्ष में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता के अनुसार दर्शाना भी आवश्यक है। राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समेकित वार्षिक योजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमजेवीके पोर्टल को अपग्रेड किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी और परियोजनाओं की स्थिति के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए, पीएमजेवीके के तहत अनुमोदित सभी संपत्तियों को जियो-टैग करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है।

*****